परिशिष्ट - 'अ'
संलग्नक - 1
तारांकित प्रश्न क्रमांक 3891

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2015—आश्विन 24, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1(ए)120-93-ब-2-दो.—श्री के. बाबूराव, भापु.से. पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल, को दिनांक 14 से 18 सितम्बर 2015 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13, 19-20 सितम्बर, 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री बाबूराव, भापुसे, जिला अनूपपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं कर पाये हैं. अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 सितम्बर 2015 निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1(ए)253-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अगस्त 2015 को निरस्त करते हुए संशोधित कार्यक्रम अनुसार डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी.टी.आर.आई.) पु.मु., भोपाल को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 4-10-2015 एवं 10-11 अक्टूबर, 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई.) पु.मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी.टी.आर.आई.) पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी.टी.आर.आई.) पु.मु., भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M.P. BHOPAL

अवर सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/3891+and+aswasan/161d796fa05bbfc2?projector=1&messagePartId=0.4 1/1

परिशिष्ट - "ब" - 10

तारांकित प्रश्न क्रमांक 3891 संलग्नक - (2)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर जबलपुर

क्रमांक /230/ री. / एस.डी.एम. / गोर. / 11 जबलपुर दिनांक 30 / 07 / 2011

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
जबलपुर ।

नस्ती में संलग्न करें। अब केवल TNCP से पत्र और प्राप्त कर प्रस्तुत करे। 31-7-11

आयुक्त नगर निगम, जबलपुर

विषय :- मौजा ग्वारीघाट नं0ब0 603 प0ह0नं0 23 / 27 खसरा नं0 57 / 4 पर खन्ना प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्माण कार्य के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका अर्द्ध शासकीय पत्र कं0 नि.स.(आ.) / भ. शा. / 11 / 447 नगर पालिक निगम जबलपुर, दिनांक 19.7.2011 एवं पत्र कमांक नि.स.आ. / 2011 / 1015 जबलपुर दिनांक 7.3.2011

.....0.....

कृपया आपके पूर्व संदर्भित पत्र दिनांक 7.3.2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें । उपरोक्त पत्र के तारतम्य में, खन्ना प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा किये जा रहे बाउन्ड्रीबाल के निर्माण की नर्मदा तट से दूरी की नाप करायी गयी । अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नर्मदा तट से बाउन्ड्रीबाल की दूरी 106 मीटर (एक सौ छै मीटर) पाई गई है । इस कार्यालय के द्वारा भेजे गये पत्र और अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

नस्ती में संलग्न होने पर लोक सूचना अन्तर्गत प्रदाय हेतु।

30.7.2011

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग गोरखपुर जबलपुर

SE (3)

203
3/8/11

अभिप्रमाणित
भवन अधिकारी
भूमि विकास स्वीकृत
नगर निगम, जबलपुर

लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, जबलपुर

अवर सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Executive Engineer
Urban Administration and Develpment
M.P. BHOPAL

Scanned by CamScanner